परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 20 अगस्त, 1977 को 10.30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1977 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

(1)	श्री बी0जे0ओदाध्यजी	अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	श्री सत्तार अहमद		सदस्य
(3)	श्री राम औतार दीक्षित		सदस्य
(4)	श्री मोहर सिंह	उप सचिव (स्वायत्त शासन सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(5)	श्री हरी मोहन श्रीवास्तव	अनु सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(6)	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(7)	श्री एन0बी0लाल	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
2	3	4
[परि]षद की दिनांक 25 जून, [1]977 की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	V/(1)/77	परिषद द्वारा दिनांक 25 जून, 1977 को हुई वर्ष 1977 की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
[प]रिषद की वर्ष 1977 की चतुर्थ [बै]ठक दिनांक 25 जून, 1977 के [का]र्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट।	V/(2)/77	परिषद ने वर्ष 1977 की चतुर्थ बैठक दिनांक 25 जून, 1977 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया। साथ ही साथ परिषद की बैठकों दिनांक 21 जनवरी, 77, 30 मार्च, 77 तथा 15 अप्रैल, 77 में पारित मदों की सूची जिन पर परिषद के निर्णयानुसार कार्यवाही शेष थी का अवलोकन किया और सर्वसम्मति से यह निर्देश दिये कि इन मदों पर शेष कार्यवाही शीघ्रता से पूरी की जाय।
[परि]षद की रामतीर्थ हिल्टन [यो]जना के विस्थापित व्यक्तियों का [कि]सी अन्य योजना में पंजीकरण [एवं] आबंटन के सम्बन्ध में।	V/(3)/77	परिषद की रामतीर्थ हिल्टन योजना (मीराबाई मार्ग) के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया और विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्देश दिये गये कि इस योजना को कार्यान्वित करने के पूर्व भली प्रकार से इस बात का पता लगा लिया जाय कि कामर्शियल काम्पलेक्स इस स्थान में बनाना उपयुक्त होगा अथवा नहीं क्योंकि यह योजना मुख्य सड़क से हटाकर कुछ पीछे है और यह जानकारी आवश्यक है कि योजना में वास्तविक मांग क्या होगी तथा इसके निर्माण पर जितनी लागत लगेगी उस पर जो ब्याज मिलता उतना लगभग किराया आता रहेगा अथवा नहीं ताकि इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि योजना की आर्थिक सुदृढ़ता (इकनामिक वायबिलिटी) क्या होगी। साथ ही साथ इस बात का भी भली प्रकार निश्चित कर लिया जाय कि इस काम्पलेक्स के निर्माण पर जो व्यय होगा उसका प्रबन्ध आसानी से हो जायगा। विचार-विमर्श के समय यह भी बात सामने आयी कि योजना के स्थान पर 7 परिवार अपनी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। परिषद ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि इस बड़ी योजना के फलस्वरूप इन विस्थापित परिवारों को किसी अन्य जगह बसाये जाने का उचित प्रबन्ध किया जाय तथा इन व्यक्तियों का पंजीकरण करके प्रत्यक्ष रूप से परिषद के समक्ष रखा जाय कि इन विस्थापित व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग की किस योजना में तथा किन-किन भवनों का आबंटन किया जायगा।

कृ0प0उ0

(10)

2	3	4
पर्यटन एवं कलेक्शन विभाग के लिये अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	V/(4)/77	परिषद ने पर्यटन एवं कलेक्शन विभाग के लिये अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठित उप समिति के निर्णय का अवलोकन किया।
परिषद में सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशन्स) के लिये स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	V/(5)/77	परिषद ने सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशन्स) के लिये स्टाफ के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठित उप समिति के निर्माण का अवलोकन किया।
लखनऊ में दूर दर्शन केन्द्र के कर्मचारियों के लिये आवास का आवंटन।	V/(6)/77	परिषद ने लखनऊ में दूर दर्शन केन्द्र के कर्मचारियों के लिये आवास के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सिद्धान्तः रूप से इन कर्मचारियों को आवंटन में कोई प्राथमिकता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता किन्तु विशेष परिस्थितियों में दुर्बल आय वर्ग के भवनों में से 22 व्यक्तियों को भवन का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है किन्तु इसे भविष्य के लिये दृष्टान्त नहीं माना जायगा। इन्हें नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा। साथ ही साथ परिषद ने यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जहां तक अल्प आय वर्ग/मध्य आय वर्ग के भवनों के आवंटन का प्रश्न है, इन कर्मचारियों को सहकारी आवास समिति के लिये रिजर्व कोटे में से केवल भूखण्ड आवंटित किये जा सकते हैं किन्तु इनकी समिति यदि आवास संघ से सम्बद्ध नहीं है तो इसे आवास संघ से सम्बद्ध करानी होगी और पंजीकृत कराकर आवंटित भूखण्डों पर संघ से ऋण प्राप्त करके भवन निर्माण कराना होगा।
परिषद कर्मचारियों को भवनों के मूल्यांकन में ब्याज की दर का उचित निर्धारण।	V/(7)/77	परिषद कर्मचारियों को आवंटित भवनों के मूल्यांकन में ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि कर्मचारियों को आज 10% छूट भवनों की पूरी लागत तथा केवल आवंटित भूखण्ड की कीमत पर दी जा रही है, परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस बात का हिसाब लगाकर परिषद के समक्ष पुनः टिप्पणी प्रस्तुत की जाय कि यदि ऐसे भवनों पर केवल 6% का ब्याज रखा जाय तो मध्य आय वर्ग के भवनों पर जिन पर 12 वर्ष के लिये 10% ब्याज देय है, अल्प आय वर्ग के भवनों पर जिन पर 15 वर्ष के लिये 8% तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के भवनों पर जिन पर 20 वर्ष में 6-1/2% ब्याज देय है दोनों प्रकार से हिसाब लगाने में प्रत्येक वर्ग के भवनों पर ब्याज सहित कुल मूल्य पर क्या अन्तर होगा। टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।
परिषद कार्यहित में निजी साधिकल प्रयोग करने पर वाहन भत्ता की दरों में वृद्धि सम्बन्ध में।	V/(8)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद कार्यहित में निजी साधिकल प्रयोग करने पर वाहन भत्ते की दर को रु0 5/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 7.50 किये जाने की स्वीकृति प्रदान की। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो तो ले ली जाय।
परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा।	V/(9)/77	परिषद ने परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार-विमर्श के पश्चात् इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि विद्युत परिषदों को छोड़कर अन्य किसी सार्वजनिक उद्यम में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस विषय पर पूर्ण विवरण तैयार करके सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का सन्दर्भ देते हुये मामला शासन के निवास विभाग को भेजा जाय और शासन से आदेश प्राप्त होने के पश्चात् मामला परिषद के समक्ष पुनः रखा जाय।

*/उद्योग

(10)

2	3	4
) सिकन्दरा गृहस्थान एवं सड़क योजना, आगरा (क्षेत्रफल 875 एकड़ अनुमानित लागत 656·81 लाख) की आपत्तियों पर नियोजन समिति का निर्णय।	V/(10)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से सिकन्दरा गृहस्थान एवं सड़क योजना, आगरा (क्षेत्रफल 875 एकड़ अनुमानित लागत 656·81 लाख) की आपत्तियों पर नियोजन समिति के निर्णय का अनुमोदन किया और भविष्य के लिये आपत्ति की सुनवाई के लिये यह निर्णय लिया कि – (i) उप समिति का निर्णय संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट होना चाहिये किन्तु जितनी संस्तुतियाँ अथवे वह वर्गीकरण का आधार मानते हुये ही दी जानी चाहिये। (ii) आपत्तियों की सुनवाई के सम्बन्ध में अभी तक गाइड लाइन्स (Guide Lines) नहीं बनाई गई हैं। अतः अध्यक्ष के परामर्श से आवास आयुक्त द्वारा आपत्तियों की सुनवाई के सम्बन्ध में गाईड लाइन्स तैयार कर ली जाय ताकि उसी के अनुसार नियोजन समितियों द्वारा आपत्तियों की सुनवाई की जा सके। गाईड लाइन्स का प्रारूप तैयार होने के बाद परिषद का अनुमोदन अगली बैठक में ले लिया जाय।
कम्पनी बाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच।	V/(11)/77	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से कम्पनी बाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच को समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही साथ यह निर्देश दिये गये कि इसे तुरन्त डिनोटिफाई भी बाकायदा कर दिया जाय
...रिषद की भेलुपुरा योजना, ...राणसी में समाविष्ट प्रेम्स्स ...उसिंग कम्पनी को 1·86 एकड़ ...। अर्जन से मुक्त करने के ...न्ध में।	V/(12)/77 ✓	परिषद द्वारा भेलुपुरा योजना, वाराणसी में समाविष्ट प्रेम्स्स हाउसिंग कम्पनी का 1·86 एकड़ भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में टिप्पणी पर विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि न्यायालय में चल रहे मुकदमें कम्पनी द्वारा मुकदमें को हटा लिया जाता है और कम्पनी वह तथा अन्य विकास व्यय जो आवास आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान करने को को हो तो प्रश्नगत भूमि वापस कर दी जाय।
...वल लाइन्स योजना, ...दाबाद में स्थित श्री जी० ...पटनी के भवन को योजना मुक्त करने के विषय में।	V/(13)/77	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से सिविल लाइन्स योजना मुरादाबाद में स्थित श्री जी०डी०पटनी के भवन तथा उससे संलग्न भूमि जिका क्षेत्रफल 1040 वर्गगज है, की सर्वसम्मति से वापस करने की स्वीकृति प्रदान की गई। श्री पटनी के भवन के बगल में स्थित श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा भी अपनी भूखण्ड की वापसी की प्रार्थना की गई है। इस सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इनके मामले की भी टिप्पणी परिषद के समक्ष अगली बैठक में रखी जाय। परिषद को यह भी सूचना दी गयी कि इस योजना के साथ कुछ भूमि जिसे 'नो मेन्स लैण्ड' कहा जाता है। इस प्रकार की कोई भूमि नहीं होनी चाहिये। अतः इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी से पूछताछ करके वस्तुस्थित से अगली बैठक में अवगत कराया जाय।
...द योजनाओं में विदेशी ...देने वालों के लिये भवन/ ...डों का आरक्षण।	V/(14)/77	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद की योजनाओं में विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति का पूरा मूल्य भुगतान करने वाले व्यक्तियों को आवंटन में प्राथमिकता दी जाय।
...जाबाद आगरा रोड पर ...विकास एवं गृहस्थान ...ना सं०-1 क्षेत्रफल 154 एकड़ ...·4 हेक्टर) अनुमानित लागत 115·44 लाख।	V/(15)/77	परिषद द्वारा फिरोजाबाद-आगरा रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना योजना सं०-1 (क्षेत्रफल 154 एकड़, अनुमानित लागत रु० 115·44 लाख) के सम्बन्ध में नियोजन समिति के निर्णय का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श के समय यह बताया

कृ०प०उ०

2	3	4
		गया कि योजना में औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है। अतः सर्वसम्मति से नियोजन समिति के निर्णय का इस संशोधन के साथ स्वीकृत दी गयी कि टिप्पणी से संलग्न परिशिष्ट 'ख' दिनांक 29 जून, 77 में उल्लिखित कारखानों का जो चालू हालत में है, योजना के औद्योगिक क्षेत्र में यथासम्भव स्थानान्तरण करने के लिये स्थान दे दिये जायं।
तथा भूखण्डों के सम्बन्ध ...किन निश्चित करने हेतु ...कन समिति का गठन।	V/(16)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया कि भवनों तथा भूखण्डों के सम्बन्ध में मूल्यांकन समिति के सदस्यों में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता समिति में को-आप्ट किये जा सकते हैं।
...बंकी भूमि विकास एवं ...थान योजना सं0-1 की ... 28 के अधीन प्रकाशित ... के सम्बन्ध में।	V/(17)/77	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 को धारा 28 के अधीन प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
...द श्रोत से बनाये जाने हेतु ...ों एवं अन्य निर्माण कार्यों ...अनुमोदन।	V/(18)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात परिषद श्रोत से बनाये जाने हेतु टिप्पणी से संलग्न तालिका में उल्लिखित भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों का अनुमोदन किया। साथ ही साथ यह निर्णय लिया कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी कार्य बिना परिषद के पूर्व अनुमति के न किया जाय और यदि कोई कार्य आवश्यक हो तो उसे आवास आयुक्त के समक्ष रखा जाय ताकि यदि वे आवश्यक समझें तो परिषद की आपाती-बैठक बुलाकर परिषद का निर्णय प्राप्त कर सकें।
...की अनुमति से अन्य विषय	V/(19)/77	(1) नगर महापालिका, लखनऊ के प्रशासक जो परिषद के सदस्य हैं, ने यह बात परिषद के समक्ष रखी कि सामान्य योजनाओं में सीवर, वाटर कनेक्शन, विद्युतीकरण आदि की दरों में काफी भिन्नता आती है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि इनका standardisation कर दिया जाय ताकि उन्हीं के अनुसार विकास कार्यों में व्यय हो और समय समय पर जो भिन्नता आती है और अधिक व्यय होता है उसे रोका जा सके। परिषद ने इस सुझाव को स्वीकृत किया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आवास आयुक्त उपरोक्तानुसार यथोचित कार्यवाही करें परिषद को पूरी तौर से अवगत करायें। (2) परिषद के विरुद्ध दायर रिटों, रिफ्रेंसिज तथा अन्य विवादों की प्रभावशील पैरवी के सम्बन्ध में परिषद द्वारा 25 जून, 1977 की बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में यह बात सामने आयी कि तहसीलदारों को बिना किराये का क्वार्टर दिया जाता है। अतः कोई तहसीलदार इस सुविधा को छोड़कर परिषद में नहीं आना चाहता है। विचार-विमर्श के पश्चात परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि किसी तहसीलदार की सेवायें उपलब्ध हो जाती हैं तो परिषद की किसी योजना में एक मध्य आय वर्ग का भवन एलाट कर दिया जाय और इसके लिये वेतन का 10% किराया जैसे अन्य सरकारी क्वार्टरों के लिये लिया जाता है, लिया जाय।

पुष्टि की गई

अध्यक्ष
24.10.77